



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर (म0प्र0)

E.mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्र./मा.चि./2026/
प्रति,

1047

अनूपपुर, दिनांक 19/06/2026

वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल

विषय :-

जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे. (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे. एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे.) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत्।

FP/MP/WATER/50101/2020

संदर्भ :-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 822664 दिनांक 30.09.2025

2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर का पत्र क्रमांक 742 दिनांक 15.06.2026

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPR/032/2023-BHO दिनांक 22.12.2023 से प्रकरण में 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी, भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्रमांक 3299 दिनांक 18.06.2025 से आपकी ओर प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा प्रेषित जानकारी में पुनः 09 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक द्वारा संदर्भित पत्र से अपनी जानकारी इस कार्यालय में परिवेश पोर्टल के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया गया है। एकजाई समस्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र.	विवरण	कार्यवाही
02	आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्र. D(i) में अपलोड तुलनात्मक विवरण पत्रक 18.605 हे. वनभूमि का अपलोड किया गया है जबकि परियोजना के निर्माण हेतु 17.418 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है साथ ही प्रस्तावित वन भूमि की Alternative KML File पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है।	उक्त बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि तुलनात्मक विवरण पत्रक में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुसंशित वन भूमि 17.418 हे० सही जिसे मान्य किया जावे। परियोजना स्थापित करने के लिए अन्य कोई स्थल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण वैकल्पिक परियोजना की केएमएल फाईल पोर्ट में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। संलग्न-1
03	औचित्य टीप पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, अतः परियोजना को वनक्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में एक तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।	आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत रूप से तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार की जा चुकी है। संलग्न- 2, 3
04	प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग का NOC पत्र संलग्न किया गया है विद्युत विभाग, जलसंसाधन विभाग आदि विभागों का NOC पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।	आवेदक संस्थान द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग अनूपपुर, एवं विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न- 4, 5, 6
07	वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर/डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत वृक्षां की जानकारी सही नहीं है अतः बांध निर्माण में आने वाले वृक्षां की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना पत्रक प्रस्तुत करें।	परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली वृक्षां की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना की गई गणना पत्रक संलग्न है। संलग्न- 7, 18

08	<p>प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 17.418 हे. वनभूमि के विरुद्ध CA हेतु 36.269 है गैर वनभूमि प्रस्तावित की गई थी, इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे। साथ ही यह भी लेख है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है।</p>	<p>प्रकरण में 17.418 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसके विरुद्ध निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>ग्राम का नाम</th> <th>रकवा (हे.मे.)</th> <th>भूमि की नॉईयत</th> <th>रिमार्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अमरकंटक</td> <td>अमरकंटक</td> <td>15.419</td> <td>राजस्व भूमि</td> <td>मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।</td> </tr> <tr> <td>राजेन्द्रग्राम</td> <td>करौंदाटोला (पडवाडोंगरी)</td> <td>20.850</td> <td>राजस्व वनभूमि</td> <td>आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकवा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।</td> </tr> </tbody> </table>					परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकवा (हे.मे.)	भूमि की नॉईयत	रिमार्क	अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।	राजेन्द्रग्राम	करौंदाटोला (पडवाडोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकवा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।
		परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकवा (हे.मे.)	भूमि की नॉईयत	रिमार्क															
अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।																	
राजेन्द्रग्राम	करौंदाटोला (पडवाडोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकवा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।																	
<p>वनीकरण योजना परिवेश पोर्टल के भाग-2 में अपलोड की गई है।</p>																					
10	<p>आवेदक संस्था द्वारा जिला कलेक्टर अनूपपुर को FRA प्रमाण पत्र आवंटित हेतु लेख किया गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जबकि परियोजना में डिण्डौरी जिले की वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। अतः कलेक्टर जिला डिण्डौरी से भी FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे।</p>	<p>आवेदक संस्थान द्वारा जिला डिण्डौरी एवं जिला अनूपपुर से FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। संलग्न- 19, 20</p>																			
11	<p>भारत सरकार के चाहे अनुसार बांध निर्माण से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में किये गये अध्ययन पर आधारित विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।</p>	<p>आवेदक संस्थान द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न -21 से 25</p>																			
12	<p>बांध निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों/ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे साथ ही बैठक की पूर्ण कार्यवाही मय उपस्थिति पंजी सहित प्रस्तुत किया जावे।</p>	<p>आवेदक संस्थान द्वारा स्थानीय निवासी/ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न -26, 27</p>																			
14	<p>भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप पर Cost Benefit Analysis तैयार किया जाकर पोर्टल पर निर्धारित बिन्दु में अपलोड किया जावे।</p>	<p>आवेदक संस्थान द्वारा cost benefit analysis report की जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न -28 से 30</p>																			

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

डेविड व्यंकटराव चनाप
(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल अनूपपुर


पृ.क्र./मा.चि./2026/

1048

अनूपपुर, दिनांक 19/06/2026

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
- 3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर